अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

हगामी / नारायण वगै

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2024/174 श्री ओरिजिनल श्री	

हगामी बनाम नारायण वगैरह (2024 / 174)

23.9.24

पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम बाबत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 के पश्चात लगातार स्थग बाबत निवेदन किये जाने पर भी आगामी दिनांक 10.09.2024 नियत कर दी इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 से 28.05.2024 तक प्रभावी रहा है। जिससे प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद है फिर भी सब्जेक्ट टू टेक्नीकल ईफेक्ट की वजह से अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को अन्दर मियाद मानते हुए अपील का निर्णय गुणावगुण पर किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति का अवलोकन किया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा मियाद अधिनियम में किये गये कथन संतोषजनक एवं सद्भावी प्रतीत होते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र बाबत कथन किया कि राजस्व विभाग ने सक्षम न्यायालय के आदेश रहन, बेचान व मुंतकिल किये बिना प्रथम श्रेणी के वारिसान का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं कर अपने क्षेत्राधिकार का नाम गलत प्रयोग किया है एवं विवादित आराजीयात में केवल दो वारिसान नारायण व सरदारा का नाम बिना विधिक नामान्तरण के सीधे ही वर्किंग जमाबंदी में गलत रूप से दर्ज कर दिया। ऐसे शून्य प्रविष्टी के आधार पर नारायण व सरदारा ने विवादित भूमि का विक्रय आगे कर दिया है, और शेष रेस्पोडेन्ट उक्त प्रविष्टि की आड में रेस्पोडेन्ट अन्यत्र रहन, बेचान एवं मुंतकिल करने पर आमादा है। जिसमें यदि वे सफल हो जाते है तो अपीलांट अपने पूर्वजों की खातेदारी / काश्तकारी की भूमि से महरूम हो जायेगी। जिमसें अपीलांट को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी। ऐसी स्थिति में ताफैसला वाद रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जाना न्यायोचित था। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न करने, बेदखल करने का नाजायज प्रयास करने एवं अन्यत्र रहन, बेचान एवं मुंतकिल करने से ताफैसला अपील पाबंद फरमावें।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अपील तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 09.10.2023 के विरूद्ध अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 09.10.2023 को प्रार्थना पत्र सुन कर नोटिस जारी किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है, जो कि एक अन्तरिम आदेश की श्रेणी में आता है, जिसका अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने रिवीजन /एल/ 9867 /2012 / नागौर उनवान जगदीश प्रसाद बनाम भोपाल राम व अन्य निर्णय दिनांक 12.03.2014 की पालना में अन्तरिम स्थगन आदेश के लिए दिशा निर्देश जारी किये है। हम न्यायहित में पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए एवं समुचित न्याय निर्णय के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी :

174/2024/225 — हमामी / नाकारण

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर
पेशी	2024/174 श्री देवीसिंह राठौड़ श्री

लगातार 30 दिवस में निस्तारण करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर को निर्देशित करना उचित समझते है।

अतः अपील इसी स्तर पर निर्णित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि वह उनके समक्ष लम्बित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण उभयपक्ष को जवाब/सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर